

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)
प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- उमेश बंजारे
पिता/पति का नाम :- श्री प्रदीप बंजारे
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1001**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **06/03/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)
प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- अमित कुमार मेश्राम
पिता/पति का नाम :- श्री विनोद कुमार मेश्राम
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1002**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **06/03/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- संजय कर्माकर
पिता/पति का नाम :- स्व. श्री संतराम कर्माकर
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1003**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **06/03/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- सुनील कुमार टांडे
पिता/पति का नाम :- श्री प्रेमलाल टांडे
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1004**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **06/03/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- तेजेन्दर सिंह बन्धे
पिता/पति का नाम :- श्री भान प्रसाद बन्धे
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1005**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **06/03/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- निलेश कुर्रे
पिता/पति का नाम :- श्री भज राम कुर्रे
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1006
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 06/03/2025 (दिन गुरुवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- मनीष कुमार कुर्रे
पिता/पति का नाम :- श्री भज राम
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1007
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 06/03/2025 (दिन गुरुवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- निहाल तुर्क
पिता/पति का नाम :- श्री धर्मेन्द्र तुर्क
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1008
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 06/03/2025 (दिन गुरुवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- सुमति चौहान
पिता/पति का नाम :- श्री विजय कुमार चौहान
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1009
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 06/03/2025 (दिन गुरुवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर) के पद हेतु

परीक्षार्थी का नाम :- कुमेश्वरी मरकाम
पिता/पति का नाम :- श्री मोहर सिंह मरकाम
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1010**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **06/03/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- सुबह 08:00 बजे

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा हेतु सुबह 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।